न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 16/2021 **G.C.M.S. No. 2021/68** **दर्ज दिनांक : 03.03.2021**

अपीलार्थिगण:

1. उम्मेदाराम पुत्र लुम्बारामजी
2. रूपाराम पुत्र लुम्बारामजी
3. अचलाराम पुत्र लुम्बारामजी, जातिगण मीणा, निवासीगण गांथी, तहसील देसूरी व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मृत कालूराम के का.मु.–
   1/1 कैलाश पुत्र कालूराम
   1/2 गजाराम पुत्र कालूराम
   1/3 लक्ष्मी पुत्री कालूराम
   1/4 धन्नाराम पुत्र कालूराम
2. गणाराम पुत्र पूराराम
3. सकाराम पुत्र पूराराम
4. खीमाराम पुत्र पूराराम जातिगण भील निवासीगण गांथी तहसील देसूरी व जिला पाली।
5. पकाराम पुत्र लुम्बारामजी
6. कानाराम पुत्र परतारामजी
7. मृत वालाराम पुत्र परतारामजी के का.मु.–
   7/1 शांतिदेवी स्व. वालाराम आयु 43 वर्ष
   7/2 जगदीश पुत्र स्व. वालाराम उम्र 22 वर्ष
   7/3 रमेश पुत्र स्व. वालाराम उम्र 17 वर्ष
   7/4 विनय पुत्र स्व. वागाराम उम्र 8 वर्ष
   रेस्पोंडेंट संख्या 7/3 एवं 7/4 अवयस्क जरिये कुदरती वलिया माता रेस्पोंडेंट संख्या 7/1 शांतिदेवी के जातिगण मीणा, निवासीगण गांथी तहसील देसूरी व जिला पाली।
8. तहसीलदार भूमिधारक देसूरी तहसील देसूरी व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2004 बअनवान उम्मेदराम वगैरह बनाम कालुराम के वारिसान वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2016 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री घेवरराम गहलोत, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. रेस्पोंडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक: 27.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2004 बअनवान उम्मेदराम वगैरह बनाम कालुराम के वारिसान वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कथित अपंजीकृत दस्तावेज सम्वत् 2020 को साक्ष्य में ग्राह्य कर दिये जाने के उपरान्त एवं प्रतिवादीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 17 व 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट अस्वीकार कर खारिज किये जाने के बावजूद भी कैम्प मे मात्र दावा अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खारिज किया गया है। माननीय अधीनस्थ नयायालय द्वारा प्रकरण में नियमानुसार तकनीयात कायम की गई, जिससे माननीय न्यायालय को उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध की जाकर प्रत्येक तनकी पर अपना विवेचन देते हुए तनकी वार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधि एवं प्रकिया की भारी भूल की है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारों को साक्ष्य आदि का सुनवाई का पुर्ण अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं किया गया। प्रकरण में वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाबदावा के आधार पर बनाई तनकीयात साक्ष्य लेख बद्ध किये बिना निर्णित एवं तय नहीं की जा सकती हैं। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना उभयपक्षकारों की साक्ष्य लिए एवं प्रत्येक तनकी पर अपना विवेचन देते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित नहीं किया हैं। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में यह स्पष्ट माना एवं स्वीकार किया है कि पक्षकारान को तारीख पेशी की इत्तला होने के बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जबकि दोनों पक्षकारों पर कैम्प के नोटिस तामिल भी नहीं हुए फिर भी तामिल मान भी लिया जावे तो कैम्प में नियत पेशी दिनांक 13.06.2016 को तब दोनों ही पक्षकार उपस्थित नहीं हुए तो श्रीमान न्यायालय को पत्रावली रेगुलर सुनवाई हेतु न्यायालय में रखनी चाहिए थीं, किन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश करते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी भूल की हैं। यहां यह भी निवेदन है कि जब वादी उपस्थित नहीं होता है तो वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाना चाहिए था एवं प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश किया जाता, किन्तु इस प्रकरण में दोनों ही पक्षकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थित दर्ज की जाकर एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय मात्र प्रकरण निस्तारण की संख्या बताने की नियत से पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की अवहेलना की गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 5 से 7 द्वारा दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2016 को खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 03.03.2021 को लगभग 55 माह अर्थात लगभग 1650 दिवस के दीर्घ विलंब के पश्चात प्रस्तुत की गई हैं।
2. विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय की अपीलांट को जानकारी नहीं रही तथा अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण के निर्णय की जानकारी की जाती रही किंतु कोई जानकारी नहीं दी गई। बाद में अधीनस्थ न्यायालय से जानकारी होते ही अपीलांट द्वारा दिनांक 09.02.2021 को नकल हेतु आवेदन कर नकल प्राप्त की गई। जिससे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।
3. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन प्रकरण में पत्रावली आदेशिका दिनांक 20.04.2016 के अनुसार पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में नियत की जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.05.2016 को नियत की गई। इसी दरम्यान आदेशिका दिनांक 13.06.2016 के अंकन अनुसार पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प सुमेरपुर में नियत कर पक्षकारान की अनुपस्थिति अंकित करते हुए पत्रावली लोक अदालत में खारिज कर दी गई। यह सुस्पष्ट विधिक प्रावधान है कि प्रथम तो लोक अदालत में उभयपक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा निष्पादित करने पर ही प्रकरण निर्णित किये जा सकते हैं। हस्तगत प्रकरण में इसका सर्वथा अभाव रहा है। साथ ही पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत थीं। जिसका बिना साक्ष्य लिए व बिना विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किए लोक अदालत कैम्प कोर्ट के नाम पर विचाराधीन वादपत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। अतः अपीलांट वादी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि दिनांक 13.06.

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

2016 को उभयपक्षकारान की अनुपस्थिति का अंकन है तथा विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में उभयपक्षकारान को समुचित नोटिस तामील करवाए जाने का सर्वथा अभाव है। अतः हमारे विनम्र मत में विलंबकाल अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता के कारण नहीं होकर युक्तियुक्त व सद्भाविक कारणों से हुआ। लिहाजा, विलंबकाल माफीयोग्य होने से विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. विचाराधीन न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात संवत 2020 से वादीगण के कब्जेकाश्त में होने, वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से क्रय करने तथा वादीगण द्वारा बिगोड़ी व लगान आदि जमा कराने व वादीगण का निरंतर कब्जाकाश्त होने के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया।

5. प्रकरण विचारण न्यायालय में साक्ष्य वादी में नियत था तथा पत्रावली दिनांक 18.05.2016 को नियत की गई। इसी दरम्यान आदेशिका दिनांक 13.06.2016 के अनुसार पत्रावली बिना किसी पूर्व सूचना के न्याय आपके द्वार लोक अदालत कैम्प सुमेरपुर में नियत करते हुए उभयपक्षकारान की अनुपस्थिति में वादपत्र पक्षकारान की साक्ष्य लिए बिना खारिज कर दिया गया।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है–"No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties." इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

7. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम कर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। अतः प्रकरण में विधिनुरूप साक्ष्य वादी व जिरह पूर्ण कर साक्ष्य प्रतिवादी व जिरह पूर्ण की जाकर उभयपक्षकारान की बहस उपरांत आदेश 20 नियम 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित

राजस्व अपील प्राधिकारी
सुमेरपुर

Scanned with OKEN Scanner

व डिक्री किया जाना आज्ञापक था। लेकिन हस्तगत प्रकरण में इसका सर्वथा अभाव पाया गया।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि प्रकरण में प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से पुष्टियोग्य नहीं हैं तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित हुई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के लिए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2004 बअनवान उम्मेदराम वगैरह बनाम कालुराम के वारिसान वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 16, 17, 18, 19 व 20 में उल्लेखित आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि दिनांक 28.07.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner